विदेश मंत्रालय

मांग संख्या 31

विदेश मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		455.00	2809.06	3264.06	455.00	3062.36	3517.36	479.00	3095.58	3574.58
पूंजी		*280.00*	*96.63*	*376.63*	*280.00*	*87.64*	*367.64*	*286.00*	*67.42*	*353.42*
जोड़		**735.00**	**2905.69**	**3640.69**	**735.00**	**3150.00**	**3885.00**	**765.00**	**3163.00**	**3928.00**
1. सचिवालय - सामान्य सेवाएं	2052	...	130.18	130.18	...	118.30	118.30	...	120.72	120.72
2. *विदेश कार्य*										
2.1 राजदूतावास और मिशन	2061	...	855.00	855.00	...	896.26	896.26	...	872.43	872.43
2.2 पासपोर्ट और उत्प्रवास	2061	...	121.86	121.86	...	159.98	159.98	...	140.55	140.55
2.3 प्रशिक्षण	2061	...	2.19	2.19	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
2.4 विशेष राजनयिक व्यय	2061	...	841.01	841.01	...	841.01	841.01	...	841.01	841.01
2.5 अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठकें	2061	...	0.86	0.86	...	0.65	0.65	...	0.64	0.64
2.6 मनोरंजन प्रभार	2061	...	26.50	26.50	...	26.50	26.50	...	26.50	26.50
2.7 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	2061	...	42.11	42.11	...	61.50	61.50	...	58.13	58.13
2.8 अन्य व्यय										
(क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को अनुदान	2061	...	55.59	55.59	...	57.50	57.50	...	57.50	57.50
(ख) युद्ध/नागरिक अशांति के कारण भारतीयों का विस्थापन	2061	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
(ग) भारत-फ्रांस मंच	2061	...	0.46	0.46	...	0.59	0.59	...	0.50	0.50
(घ) अन्य विविध मदें	2061	...	29.88	29.88	...	26.65	26.65	...	21.78	21.78
जोड़-अन्य व्यय		**...**	**85.95**	**85.95**	**...**	**84.76**	**84.76**	**...**	**79.80**	**79.80**
जोड़-विदेश कार्य		**...**	**1975.48**	**1975.48**	**...**	**2072.66**	**2072.66**	**...**	**2021.06**	**2021.06**
3. विविध सामान्य सेवाएं										
- मुद्रा हानि	2075	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
4. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग और विदेशी सरकारों को अग्रिम										
(i) बंगलादेश	3605	...	3.30	3.30	...	3.30	3.30	...	51.00	51.00
	7605	...	1.62	1.62	...	18.87	18.87	...	1.00	1.00
	जोड़	*...*	*4.92*	*4.92*	*...*	*22.17*	*22.17*	*...*	*52.00*	*52.00*
(ii) भूटान	3605	455.00	244.80	699.80	455.00	313.65	768.65	479.00	336.11	815.11
	7605	280.00	...	280.00	280.00	...	280.00	286.00	...	286.00
	जोड़	*735.00*	*244.80*	*979.80*	*735.00*	*313.65*	*1048.65*	*765.00*	*336.11*	*1101.11*
(iii) नेपाल	3605	...	59.20	59.20	...	66.17	66.17	...	70.00	70.00
	7605	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
	जोड़	*...*	*59.21*	*59.21*	*...*	*66.18*	*66.18*	*...*	*70.01*	*70.01*
(iv) श्रीलंका	3605	...	15.30	15.30	...	15.30	15.30	...	25.00	25.00
(v) मालदीव	3605	...	8.00	8.00	...	3.20	3.20	...	3.20	3.20
(vi) म्यांमार	3605	...	10.00	10.00	...	6.21	6.21	...	15.00	15.00
(vii) अन्य विकासशील देश	3605	...	249.25	249.25	...	348.22	348.22	...	339.94	339.94
(viii) अफ्रीकी देशों को सहायता	3605	...	104.54	104.54	...	106.84	106.84	...	104.54	104.54
(ix) मध्य एशिया	3605	...	9.00	9.00	...	8.50	8.50	...	9.00	9.00
	जोड़	*735.00*	*705.02*	*1440.02*	*735.00*	*890.27*	*1625.27*	*765.00*	*954.80*	*1719.80*
5. लोक निर्माण कार्य	4059	...	70.00	70.00	...	48.76	48.76	...	51.41	51.41
6. आवास	4216	...	25.00	25.00	...	20.00	20.00	...	15.00	15.00
कुल जोड़		***735.00***	***2905.69***	***3640.69***	***735.00***	***3150.00***	***3885.00***	***765.00***	***3163.00***	***3928.00***

ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
केन्द्रीय योजना	13605	735.00	...	735.00	735.00	...	735.00	765.00	...	765.00

सं.31/विदेश मंत्रालय

1. **सचिवालय सामान्य सेवाएं** - इसमें विदेश मंत्रालय के सचिवालय जिसमें विदेशों में प्रचार कार्य पर होने वाला व्यय भी शामिल है, के लिए प्रावधान किया गया है।

2. **विदेश मामलेः**

2.1 **राजदूतावास तथा मिशनः** इसमें विदेशों में 162 मिशनों/केन्द्रों द्वारा भारतीय मिशनों/केन्द्रों के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2.2 **पासपोर्ट तथा उत्प्रवासः** यह प्रावधान मुख्य रूप से पासपोर्ट कार्यालयों विदेशों में भारतीय मिशनों (कौंसुलर अनुभागों) के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम तथा यात्रा दस्तावेजों के मुद्रण पर लागत पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए है। इस प्रावधान में पासपोर्ट संबंधी कार्य के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को किए जाने वाले भुगतान के लिए 24.48 करोड़ रुपए का आबंटन भी शामिल है। ब.अ. 2005-06 में विदेशों में भारतीय मिशनों/केन्द्रों तथा वस्तुओं और सेवाओं की लागत में संभावित वृद्धि पर प्रत्याशित व्यय के लिए प्रावधान है।

2.3 **प्रशिक्षणः** इस शीर्ष के अंतर्गत भारतीय एवं विदेशी राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने तथा विदेश सेवा संस्थान के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम तथा पुस्तकों का क्रय इत्यादि जैसे कार्यकलाप करने के लिए प्रावधान किया गया है।

2.4 **विशेष राजनयिक व्यय** - इसमें विवेकाधीन व्यय का प्रावधान किया गया है।

2.5 **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठकें** - यह प्रावधान भारत में आयोजित बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/बैठकों पर व्यय और दोनों पक्षों के प्रतिष्ठित व्यक्ति समूहों पर व्यय के लिए है।

2.6 **मनोरंजन प्रभार** - यह प्रावधान मुख्यतः आने वाले अतिविशिष्ट व्यक्तियों के दौरों से संबंधित सेवाओं की लागत, भारतीय वायु सेना के एयरलिफ्ट प्रभारों तथा हैदराबाद हाऊस के उन्नयन तथा मरम्मत अनुरक्षण कार्य के लिए है।

2.7 **अंतर्राष्ट्रीय सहयोगः** इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ तथा इसके अभिकरणों, राष्ट्रमंडल सचिवालय, राष्ट्रमंडल फाउंडेशन, सार्क सचिवालय, तथा एशिया प्रशांत में सुरक्षा सहयोग परिषद को किए जाने वाले अनिवार्य अंशदान के लिए प्रावधान किया गया है। यह संवृद्धि विदेशी मुद्रा की तुलना में भारतीय रूपए के संभावित अवमूल्यन के कारण रूपए के अर्थ में अंशदान में वृद्धि के कारण है।

2.8 **अन्य व्यय :** इसमें सीमाओं के सीमांकन, माननीय उप प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा, हज सद्भावना प्रतिनिधि मंडल, यूएन को जाने वाले प्रतिनिधिमंडल, विदेशी छात्रावास और आवासीय कॉम्पलैक्स, विभिन्न संस्थानों को सहायता अनुदान, विदेशों में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोहों आदि के लिए प्रावधान शामिल हैं। इसमें वित्तीय वर्ष 2005-06 में आईसीसीआर के लिए परिषद के क्रियाकलापों जिसमें विदेशी छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की लागत, विश्व कार्यों के लिए भारतीय परिषद और अनुसंधान और सूचना प्रणाली के लिए संस्था को अनुदान आदि शामिल हैं, के लिए 57.50 करोड़ रुपए का प्रावधान भी शामिल है तथा अंतर्राष्ट्रीय शांतिरक्षण में प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय भी इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल है।

3. **विविध सामान्य सेवाएं, विनिमय द्वारा हानिः** इस शीर्ष के अंतर्गत एक करेंसी से दूसरी करेंसी में रूपांतरण करने आदि के कारण विदेश स्थित हमारे मिशनों/चौकियों द्वारा उपगत निवल हानि के लिए प्रावधान किया गया है। चूंकि आवश्यकता का सही अनुमान लगाना संभव नहीं है इसलिए इस शीर्ष के अंतर्गत केवल सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

4. **अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोगः** यह प्रावधान भारत के बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय मदद एवं सहायता कार्यक्रमों के लिए किया गया है। आवंटन मित्र देशों, जिनमें न केवल हमारे निकट पड़ोसी शामिल हैं बल्कि अफ्रीका, केन्द्रीय एशिया एवं दक्षिण-पूर्व एशिया को भी विकासात्मक परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करने में भारत की सतत् रुचि को दर्शाते हैं। इस प्रावधान में भूटान को मदद सहायता प्रदान करने के लिए एक प्लान घटक भी शामिल हैं। यह प्रावधान पेलेस्टीन, अफगानिस्तान तथा इराक जैसे अन्य देशों को मानवीय सहायता एवं मदद की पूर्ति भी करता है।

5 एवं 6. **लोक निर्माण तथा आवासन** : यह प्रावधान मुख्य रूप से विदेशों में रिहायशों एवं कार्यालयों के अधिग्रहण/निर्माण तथा रख-रखाव के लिए है।

Website: http://indiabudget.nic.in